न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी वर्षा शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रापत्र संख्या–06 / 2020

प्रापत्र प्रविष्टि दिनांक–04.02.2020

निर्णय दिनांक–09.01.2024

किशनी धर्मपत्नि रामलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयकिशनपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खाता सख्या 51 मे वर्णित
ई आराजी ख0न0 199/2, 203/2, 204/2 कुल किता 03 कुल रकबा 04–17 बीघा वाके ग्राम मुर्तजानगर
तह पीपलू जिला टोंक मे स्थित है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया
गया तो उसमे राजस्व कर्मचारियो ने बिना किसी अधिकार, न्यायालय आदेश के प्रार्थीया का नाम किशनी की
जगह कृष्णा गलत कर दिया गया, जबकि प्रार्थीया का सही नाम किशनी धर्मपत्नि रामलाल है। राजस्व रिकॉर्ड मे
में गलती हुई है, वह एक लिपिकीय त्रुटी है। प्रार्थीया का सही नाम किशनी पत्नि रामलाल ही है। प्रार्थीया एक
अनपढ़ महिला है, जो राजस्व रिकॉर्ड में नहीं समझती है। जो अपने सही नाम का अंकन नहीं करवा सकी। उक्त
त्रुटि के कारण प्रार्थीया को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड रहा है। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड व
अन्य दस्तावेज में नाम अलग अलग हैं। जबकि दोनो महिला एक ही है। प्रार्थीया के ग्राम जयकिशनपुरा के
राजस्व रिकॉर्ड तथा पहचान पत्र, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र व राशनकार्ड मे किशनी
धर्मपत्नि रामलाल है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार
किया जाकर जमाबंदी संवत् 2070–73 में खाता संख्या 51 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 199/2, 203/2
204/2 कुल किता 03 कुल रकबा 04–17 बीघा वाके ग्राम मुर्तजानगर पटवार हल्का बनवाडा मे प्रार्थीया का नाम
कृष्णा पत्नि रामलाल के स्थान पर किशनी धर्मपत्नि रामलाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का आदेश
फरमावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की जमाबंदी संवत् 2070–73 मै खाता संख्या 51 मैं वर्णित भूमि आराजी ख0न0 199/2, 203/2, 204/2 कुल किता 03 कुल रकबा 04–17 बीघा वाके ग्राम मुर्तजानगर पटवार हल्का बनवाडा मे प्रार्थीया का नाम किशनी धर्मपत्नि रामलाल दर्ज किया हुआ है। उक्त आराजीयात खाता संख्या 51 मे दर्ज हैं, जो ग्राम जयकिशनपुरा के खाता संख्या 16, 17 व 55 से भिन्न है। ग्राम जयकिशनपुरा की आराजीयात व संलगन दस्तावेजों मे प्रार्थीया का नाम किशनी धर्मपत्नि रामलाल किया जाना उचित है। अतः मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम जयकिशनपुरा के खाता संख्या 16, 17 व 55 एवं संलग्न दस्तावेजो अनुसार प्रार्थीया का सही नाम किशनी धर्मपत्नि रामलाल है। अतः ग्राम मुर्तजानगर के खाता संख्या 51 में जो नाम दर्ज है। उसके स्थान पर सही नाम किशनी धर्मपत्नि रामलाल जाति ब्राह्मण शुद्धि हेतु रिपोर्ट पेश है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र मे अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया की खाता संख्या 51 मे वर्णित भूमि आराजी ख0न0 199/2, 203/2, 204/2 कुल किता 03 कुल रकबा 04–17 बीघा वाके ग्राम मुर्तजानगर तह0 पीपलू जिला टोंक मे स्थित है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया तो उसमे राजस्व कर्मचारियो ने बिना किसी अधिकार, न्यायालय आदेश के प्रार्थीया का नाम किशनी की जगह कृष्णा गलत कर दिया गया, जबकि प्रार्थीया का सही नाम किशनी धर्मपत्नि रामलाल है। राजस्व रिकॉर्ड मे जो गलती हुई है, वह एक लिपिकीय त्रुटी है। प्रार्थीया का सही नाम किशनी पत्नि रामलाल ही है। प्रार्थीया एक अनपढ़ महिला है, जो राजस्व रिकॉर्ड में नही समझती है। जो अपने सही नाम का अंकन नही करवा सकी। उक्त त्रुटी के कारण प्रार्थीया को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड रहा है। क्योकि राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेज में नाम अलग अलग हैं। जबकि दोनो महिला एक ही है। प्रार्थीया के ग्राम जयकिशनपुरा के राजस्व रिकॉर्ड तथा पहचान पत्र, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र व राशनकार्ड मे किशनी धर्मपत्नि रामलाल है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर जमाबंदी संवत् 2070–73 में खाता संख्या 51 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 199/2, 203/2, 204/2 कुल किता 03 कुल रकबा 04–17 बीघा वाके ग्राम मुर्तजानगर पटवार हल्का बनवाडा मे प्रार्थीया का नाम कृष्णा पत्नि रामलाल के स्थान पर किशनी धर्मपत्नि रामलाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की जमाबंदी संवत् 2070–73 मे खाता संख्या 51 मे वर्णित भूमि आराजी ख0न0 199/2, 203/2, 204/2 कुल किता 03 कुल रकबा 04–17 बीघा वाके ग्राम मुर्तजानगर पटवार हल्का बनवाडा मे प्रार्थीया का नाम किशनी धर्मपत्नि रामलाल दर्ज किया हुआ है। उक्त आराजीयात खाता संख्या 51 में दर्ज हैं, जो ग्राम जयकिशनपुरा के खाता संख्या 16, 17 व 55 से भिन्न है। ग्राम जयकिशनपुरा की आराजीयात व संलगन दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम किशनी धर्मपत्नि रामलाल किया जाना उचित है। अतः मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम जयकिशनपुरा के खाता संख्या 16, 17 व 55 एवं संलग्न दस्तावेजो अनुसार प्रार्थीया

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

का सही नाम किशनी धर्मपत्नि रामलाल है। अतः ग्राम मुर्तजानगर के खाता संख्या 51 में जो नाम दर्ज है। उसके स्थान पर सही नाम किशनी धर्मपत्नि रामलाल जाति ब्राह्मण शुद्धि किया जाना उचित है।

सरपंच ग्राम पंचायत बनवाडा के प्रमाण पत्र दिनांक 04.01.2024 अनुसार प्रमाणित किया गया है किशनी देवी पत्नि रामलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयकिशनपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक निवासी है। किशनी देवी पत्नि रामलाल शर्मा को कृष्णा देवी पत्नि रामलाल शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। मेरी जानकारी के अनुसार यह सत्य है। जिसके आधार नम्बर 846238053162 है।

हमने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, बडौदा क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक की पासबुक की छाया प्रति, ग्राम जयकिशनपुरा की जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 16, 17 व 55 व धापू पत्नि बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयकिशनपुरा द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, ग्राम पंचायत बनवाडा के प्रमाण पत्र व अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थीया का शुद्ध नाम किशनी धर्मपत्नि रामलाल है, जबकि भूमि आराजी ख0न0 199/2, 203/2, 204/2 कुल किता 03 कुल रकबा 04–17 बीघा वाके ग्राम मुर्तजानगर पटवार हल्का बनवाडा तह0 पीपलू में प्रार्थीया का नाम कृष्णा धर्मपत्नि रामलाल दर्ज हैं, जो त्रुटीपूर्ण है, अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया के त्रुटीपूर्ण नाम कृष्णा धर्मपत्नि रामलाल के स्थान पर प्रार्थीया का शुद्ध नाम किशनी धर्मपत्नि रामलाल जाति ब्राह्मण दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनाक [illegible]01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

उप खण्ड अधिकारी
(वर्षा शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीपलू (टोंक)
जिला टोंक (राज0)

Scanned with CamScanner